जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः— ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2025 / डी—) ५०

दिनांक:- 23 | 01) 25%

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

मैसर्स वंशदीप बिल्डर्स प्रा.लि., जिरये निदेशक, श्री प्रदीप कुमार तोलानी, 251/48, सेक्टर 25, प्रताप एनक्लेव, सांगानेर, जयपुर।

विषय:- खसरा नम्बर 633 व 634, ग्राम बीलवा कलाँ, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय.

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (ीपी) की 295वीं बैठक दिनांक 09.07.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती है:—

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	6888.15 व.मी.
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई	18 मीटर
3.	लीजडीड जारी दिनांक	21.12.2023 भू-उपयोग:- ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगित/एकल पट्टा/उप विभाजन	ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ एकल पट्टा
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।
б.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्री श्रीकृष्ण शर्मा सी.ए. / 99 / 25451

अनमोदित मानदण्ड:-

प्रनुमा	।दित मानदण्डः—						
1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	यह भवन मानचित्र अ अर्थात दिनांक 22.01.2 0			होने की	दिनांक से 7 वर्ष	
2.	सेटबैक	सामने—।	पार्श्व-।	τ	गर्श्व—॥	पीछे -	
	I I I	15.24 मी.	10.67 मी	i. 10	0.67 मी.	10.67 मी.	
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	40,577.40 व.मी.					
4.	बी.ए.आर.	4.18 (28,830.11 व.मी.)					
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	29.70 प्रतिशत (2046.36 व.मी.)					
6.	ऊँचाई -	0.65 मी. (प्लिन्थ) + 3.0 मी. (रिटल्ट) + 41.30 (प्रथम से 14 तल)=44.95 मी (प्लिन्थ छोडकर) + 6 मी. (मशीन रूम) कुल 50.95 मी.					
7.	पाकिंग	कार	TOP. 2004	स्कूटर	बस	कुल ईसीयू	
		सरफेस	<u>गैकेंगिकल</u>				
		221		241	-	301.33 ईसीयू	

तथ्य:-

1. प्रथम अनुमोदन / संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2. समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	294वीं बैठक दिनाक 26.06.2024

अनापत्ति प्रमाण पत्र:--

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्वावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 10.05.2024 के अनुसार 100 मीटर ऊँचाई अनुष्ठोय है. जिस्में Gual कि कि प्रमाधि कि तक प्रभावी है। साई कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार के by Ankar Dadheech

सामान्य शर्ते:-

Date: 2025.04.23/17.36:40 IST Reason: Approve

- 1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन-14, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपन्न में सूचना प्रस्तुत करेगे।
- 2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
- 3. निर्माण रथल पर रवीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित गानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त रथान पर प्रदर्शित किया जावें।
- 4. भवन का उपयोग प्रांरम होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
- विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानिचा में दर्शित / निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
- 6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाएं, वातानुकूल सेवाएं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
- 7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण-पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- 8. परियोजना में भूखण्ड़ के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संस्क्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा रायत्र). 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), वििधम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अन्पालना की जानी होगी।
- 9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सूनिश्चितता की जावेंगी।
- 10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड / सुविधाओं / सार्डन वोर्ड / दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी
- 11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
- 12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश विनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना
- 13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।
- 14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (ति उत चार्कि प्राप्त कार्म समित कार्म कार्
- 15. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगतुकों हेतु नि:शुल्क वाहर किंग का बोर्ड लगवाया जावे। Digitally signed by Ankar Dadheech Designation, Senior own Planner 16. गिर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध स्थार, प्रहिन्द के अनुमादिक किंगाकिंग
- 16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्क सुर्ह प्रतिनि

Reason: Approve

की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।

- 17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
- 18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
- 19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवंगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र खतः ही निरस्त समझे जावंगं।
- 20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
- 21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में खामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
- 22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग का Consent to operate नगरीय निकाय में जमा कराना होगा. उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया आयेगा।
- 23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
- 24. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्ते:—

- 1. प्रश्नगत भूखण्ड की लीजहोल्ड से फ्री होल्ड डीड दिनांक 21.12.2023 को जारी की गई हैं। नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 16.12.2021 के प्रावधान अनुसार फ्री होल्ड पट्टा प्राप्त करने की दिनांक से 3 वर्ष तक पुर्नग्रहण शुल्क लेय नहीं होगा। 3 वर्ष पश्चात पुर्नग्रहण शुल्क नियमानुसार देय होगा। अतः भवन निर्माण अवधि 3 वर्ष अर्थात दिनांक 20.12.2026 तक देय होगी।
- 2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 22.01.2032 तक प्रभावी होगी।
- 3. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा ोने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:-

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
	001153	41,52,834 / -	प्रथम किश्त	31.12.2025
ICICI BANK	001154	41,52,834 / -	द्वितीय किश्त	30.09.2026
	001155	41,52,834 /-	तृतीय किश्त	30.06.2027
	001156	41,52,834 /-	चतुर्थ किश्त	31.03.2028
	001157	41,52,834 ,'-	पंचम किश्त	31.12.2028

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) ओंने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना

Reason: Appro

प्रश्तावित किये गये है:-परियोजना में प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर:-28,830.11 व.मी. प्रस्तावित कुल आवासीय बी.ए.आर. का 5 प्रतिशत = 1441.50 व.मी. ई.डल्यू.एस./एल.आई.जी. आवासों की संख्या आवासों की संख्या क्षेत्रफल 42 EWS

5. आप द्वारा प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित सम्पूर्ण बी.ए.आर. की एवज में उपरोक्त मूल परियोजना पर प्रस्तावित किये गये कुल 42 ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवासों की निर्माण अवधि पूर्व में दिनांक 18.04.2023 को भवन निर्माण स्वीकृति अनुसार 30 माह तक की अवधि में पूर्ण किया जाकर सूचना इस प्रकोष्ठ को दी जानी होगी।

6. भवन मानचित्र जारी किये जाने की दिनांक से 60 दिवस की अवधि में उक्त EWS/LIG फ्लैट्स हेतु नियमानुसार आवेदन आमंत्रित किया जाना आवश्यक होगा एवं मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए आवंटन किया जावेंगा।

7. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।

संलग्न:- मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (14 मानचित्र)

भवदीय. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (14 मानचित्र) संलग्न कर

2. उपायुक्त जोन—14, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (14 मानचित्र) संलग्न कर लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाएँ तैयार किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावें।

3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हरानपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को

5. उपायुक्त राजस्व-प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. ६() / उपा. रा (प्रथम) / जननि / 2019 / 18 िनोंक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।

6. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature yąlid

Digitally signed by Ankar Dadheech Designation Senior own Planner Date: 2025.04.23/17.36:40 IST Reason: Approve





जयप्र विकास प्राधिकरण, जयप्र

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2025/डी–**369**

दिनांक:- 21/2/2025

शुद्धि पत्र

मैसर्स वंशदीप बिल्डर्स प्रा.लि., जरिये निदेशक, श्री प्रदीप कुमार तोलानी, 251/48, सेक्टर 25, प्रताप एनक्लेव, सांगानेर, जयपुर द्वारा खसरा नम्बर 633 व 634, ग्राम वीलवा कलाँ, तहसील सांगानेर, जयपुर के प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र स्वीकृति पत्र दिनांक 23.01.2025 को जारी किया गया। उक्त पत्र में सहवन से विशेष शर्त के बिन्दु (5) में निम्न उल्लेख किया गया है:--

''प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित सम्पूर्ण बी.ए.आर. की एवज में उपरोक्त मूल परियोजना पर प्रस्तावित किये गये कुल ४२ ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवासों की निर्माण अवधि पूर्व में दिनांक 18.04.2023 को भवन निर्माण स्वीकृति अनुसार 30 माह तक की अवधि में पूर्ण किया जाकर सूचना इस प्रकोष्ट को दी जानी होगी।"

उक्त विशेष शर्त के बिन्दू (5) को निम्नानुसार पढा जावें:--

"प्रश्नगत परियोजना पर प्रस्तावित सम्पूर्ण बी.ए.आर. की एवज में उपरोक्त मूल परियोजना पर प्रस्तावित किये गये कुल 42 ई.डब्ल्यू.एस. / एल.आई.जी. आवासों की निर्माण अवधि नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के परिपत्र दिनांक 07.09.2022 की सामान्य शर्त 4ए (i) के अनुसार EWS/LIG आवासों का निर्माण कार्य भवन मानचित्र जारी होने की दिनांक 23.01.2025 से 30 माह तक की अवधि में पूर्ण किया जाकर सूचना इस प्रकोष्ठ को दी जानी होगी।"

भवदीया,

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू।

- 1. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
- 2. उपायुक्त जोन- 14, जविप्रा, जयपुर।
- 3. मैसर्स वंशदीप बिल्डर्स प्रा.लि., जिरये निदेशक, श्री प्रदीप कुमार तोलानी, 251/48, सेक्टर 25, प्रताप एनक्लेव, सांगानेर, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक, भवन मानचित्र समिति (बीपी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

Signature yalid

Digitally signed by Rinyu Bansal Designation Additio al Chief town


Reason: Approved

रामिकशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर,302004 दुरभाष ६९१.१४१.सम्बंधित कार्यालयह रू ईपीवीएक्स ... ९१.१४१.२५६९६७६ एक्सटेंशनरू ६५१५३६रू फैक्स... ९१.१४१.२५७५५



जिनार नियोजन (BP) जयपुर विकास प्रोधिकरण जयपुर

स्मतिरिक्त गुरुष्ट ज्ञार नियौजन भवन माना व्यक्ति स्वसूर विकास ग्राह्मकण, जयपुर



SECTION THROUGH R.W. HARWESTING PITS

के संबंधिय का संबुधीएय किसी थी कार्क क्रिकार मुक्ति कुलाव्य के प्रीत स्थानिस्त्र का कार्थ का कही माना जानेगा और स. ही

के र क्या के स्वामिश्व सस्ववित्र अधिकार

कीचे निक्षे तथ अनुयोग्स्त बानविक्षे के कार्यों के कार्यों मध्ये अवन निर्माण को संस्थान

अमाजित होगें।

PIT

-35' [10.67]+

REFERENCE :-PLOT AREA = 6888.15 SQ.MT. STANDARD B.A.R. = 6888.15 X 2.00 = 13776.3 SQ.MT FREE B.A.R. UNDER CMJY YOJANA = 6888.15 X 0.75 = 5166.11 SQ.MT. TOTAL FREE B.A.R. = 13776.3+5166.11 = 18942.41 SQ.MT. PROPOSED B.A.R. = 28830.11 SQ.MT. (4.18) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (28830.11) ~ (18942.41) = 9887.7 SQ.MT. PERMISSABLE GROUND COVERAGE = 40 % (2755.26 SQ. MT.) PROPOSED GROUND COVERAGE = 29.70 % (2046.36 SQ. MT.) 2458.31 (Stilt Floor Gross Builtup) - 277.00 (Balcony\Open Terrace) - 34.39 (Fire Stair) - 65.84(Chajja) - 34.72 (Lift Well) = 2046.36 Sq.Mt. REQUIRED LANDSCAPE AREA (20 %) = 1377.63 SQ.MT. REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) ON NATURAL EARTH = 688.81 SQ.MT. REQUIRED LANDSCAPE AREA (10%) ON PODIUM =688.81 SQ.MT. PROPOSED LANDSCAPE AREA (20.33 %) = 1400.44 SQ.MT. PROPOSED LANDSCAPE AREA ON NATURAL EARTH (10.02~%) $=690.34~{
m SQ.MT.}$ PROPOSED LANDSCAPE AREA ON PODIUM (10.31~%) =~710.10~ SQ.MT. PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = PLINTH (1.20) + STILT (8.50) + (1.5 X Road Width + Front Setback) +7.75 (Mumty & Machine Room) $= 1.20 + 8.50 + (1.5 \times 18 + 15.00) + 7.75$ = 1.20 + 8.50 + 42.00 + 7.75 = 59.45 MPROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.65) + STILT (3.00) + 41.30 + 6.00 (Mumty & Machine Room) = PLINTH (0.65) + 44.30 + 6.00 (Mumty & Machine Room) = 44.95 + 6.00 (Mumty & Machine Room) = 50.95 M 10. E.C.U. REQUIRED :-RESIDENCIAL = 28497.89 / 115 = 247.80 + 10% (VISITOR) | COMMERCIAL = 332.22/75 = 4.42 + 25% (VISITOR) RESIDENCIAL E.C.U. = 272.58COMMERCAIL E.C.U. = 5.52 TOTAL NO. OF E.C.U. REQUIRED = 278.1 CARS REQUIRED = 209, SCOOTER REQUIRED = 208PARKING FOR AFFORDABLE (EWS & LIG):-EWS 42 NOS. = $42 \times 1 = 42 \text{ SCOOTER}$ CARS REQUIRED = 209, SCOOTER REQUIRED = 250 (208+42) (292.33 E.C.U.) CAR SCOOTERS E.C.U. PROPOSED :-CAR = 221, SCOOTER = 241 (301.33 E.C.U.) OPEN 28 TOTAL 241 221 12. NUMBER OF UNITS/ FLATS = 308 NUMBER OF EWS = 42 TOTAL NUMBER OF UNITS/ FLATS = 308 + 42 (EWS) = 350 REQUIRED ELECTRIC VEHICLE POINT = 30 NO. PROPOSED ELECTRIC VEHICLE POINT = 30 NO. COMMERCIAL AREA REQUIRED MINIMUM 1% OF TOTAL B.A.R. (28830.11) = 288.30 SQ.MT. PROPOSED COMMERCIAL AREA = 332.22 SQ.MT. (1.15 %) CLUB REQUIRED REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL B.A.R. (28830.11) =576.60 SQ.MT. PROPOSED CLUB AREA = 1127.64 SQ.MT. (3.91 %) 16. MAXIMUM B.A.R ON STILT FLOOR (30% OF STILT FLOOR AREA) = 30% OF 2465.28 SQ.MT. = 739.58 SQ.MT.

PROPOSED B.A.R ON STILT FLOOR = 635.25 SQ.MT. (25.76 %)

17. REQUIRED AFFORDABLE (EWS & LIG) AREA = 5% of PROPOSED B.A.R.(28830.11) = 1441.50 SQ.MT.

PROPOSED AFFORDABLE (ÈWS & LIG) AREA = 1534.2 SQ.MT. (5.32 % of B.A.R.)

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN SCALE: 1:250

-35' [10.67]-

TOILET 2.51x1.56

BALCONY 2.51x1.56

TOILET 2.13x1.45

BED ROOM 3.12x2.74

DRAWING-DINING 4.76x2.74

-252'-9"

Flat Type = EWS

Carpet Area =29.02 Sq.Mt.

Balcony Area =3.93 Sq.Mt.

Super Builtup Area =51.06 Sq.Mt.

	EWS	UNIT DET	AIL	
	AREA	TYPICAL	FLOORS	TOTAL
CARPET	29.02	7		1,218.84
SUPER BUILTUP	51.06	1 /	0	2,144.52
TOTAL UNIT	1	42		Sala C

AREA	A CALCULATION (AREA IN SQ.	MTR.)	NA I SEVERAL						a pau	
S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	SERVICE SHAFT/ CUTOUT	FIRE ESCAPE STAIR	ARCHITECTURAL ELEMENT/ CHAJJA	AFFORDABLE (EWS/LIG)	LIFT WELL	B.A.R.	FACILITIES	COMMERCIA
1	BASEMENT	5724.20		-	e Verille	4 - 1	34.72	_		_
	STILT FLOOR	2465.28	-	34.39	- = ₹,	• •	34.72	635.25	303.03	332.22
2	GUARD ROOM	8.74				- 1	12	200		ev ti
	ELECTRIC SUBSTATION	63.47		To 1,		A TOTAL THE TOTAL		<u> 10</u>	45 14201	= =
3	1st FLOOR	2396.14	17.61	34.39	, 65.84	255.70	34.72	1987.88	158,61	(=)
4	2nd FLOOR	2396.14	17.61	34.39	65.84	255.70	34.72	1987.88	158.61	-
5	3rd FLOOR	2396.14	17.61	34.39	65.84	255.70	34.72	1987.88	158.61	-
6	4th FLOOR	2396.14	17.61	34.39	65.84	255.70	34.72	1987.88	158.61	-
7	5th FLOOR	2396.14	17.61	34.39	59.58	255.70	34.72	1994.14	190.17	4
8	6th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58	255.70	30.80	1800.40	-	-
9	7th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58	n e	30.80	2056.10		-
10	8th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58	-	30.80	2056.10	_	
11	9th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58		30.80	2056.10	-	-
12	10th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58	H. 56 W S S	30.80	2056.10		
13	11th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58	-	30.80	2056.10	-	19 1
14	12th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58	-	30.80	2056.10		-
15	13th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58		30.80	2056.10	-	-
16	14th FLOOR	2186.63	5.76	34.39	59.58	-	30.80	2056.10	-	-
17	STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT	655.34	_	" k <u>-</u>	-	- V - I	-	-	-	-
18	TOTAL	40577.40	=	_	-	1534.2	_	28830.11	1127.64	332.22



PROJECT:PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT
GROUP HOUSING KHASRA NO. 633, 634 AT
VILLAGE BILWA KALLAN,

VILLAGE BILWA KALLAN,
TEH. SÄNGANER, JAIPUR

ARCHITECT:-


SPACE GRID


C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (0)


Email:-info.spacegrid@gmail.com


SHRI^KRISHAN Architect CA/99/25451

































SPACE GRID ARCHITECTS C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR

-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766, 0141-4005506 (O) Email: -info.spacegrid@gmail.com

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In reference to Project "**THE AURA**" situated at Group Housing Khasra No. 633, 634 at Village Bilwa Kallan, Teh. Sanganer, Jaipur.

I, Shri Krishan, architect of the Project does solemnly declare that the open area in the project is as follows: -

	Area (in sqm)		
Plot Area (A)	6888.15		
Proposed Ground Coverage (B)	2046.36		
Guard Room Area (C)	8.74		
Total Open Area [A-(B+C)]	4833.05		

SHRI KRISHAN Architect CA/99/25451